

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

रतनलाल बनान भन्दा (कौसा)

सुन मुकदमा प्र.पत्रा 111-128 नं० 45 सन् 2020

क	हुकम या कार्यवाही नय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील मे जारी हुए
5-20	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 16.6.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
16/6	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7.7.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
7-7-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.7.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
28.7.20	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7.8.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
7-8-20	<p>पत्रावली पेशाई, कौसल साहू उपस्थित विपक्षीगण 1, 2, 4 के सम्मन का पत्रावली पेशाई साज हुए जिसे व्यापक किये गये, कौसल साहू विपक्षीगण 3 के सिक्क कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं विपक्षीगण को फावली भरवा आवाये जिजायी जागे उपरान्त भी उपस्थित नहीं इनके सिक्क एक तरफा कार्यवाही किये जावे के आदेश किये जाते हैं तहसील माण्डल से प्रकरण की रिपोर्ट साफ डई जिसे व्यापक फावली किये गया, अर्द्ध मे सीमावान नहीं गया गया, कौसल साहू का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय सुपक्ष से किये जाकर व्यापक पत्रावली किये गया।</p> <p>पत्रावली कौसल सुमाद की जाकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>दि. 6. 3 को जज माण्डल नही किये 7-8-20</p>

उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला मीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

आरीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना संख्या - 45/20 प्रा.पत्र

श्री रामचन्द्र दशोग निवासी - सुरास तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री अनाज श्री सोडा गाडरी निवासी - सुरास तहसील - माण्डल [वगैरा]
(संकोचित प्रा.पत्र की वापी संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 592, 593, 594, 595 कुल किता 0.5 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.05.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 592, 593, 594, 595, 591 कुल किता 0.5 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सेजा 400/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा